भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

14AA 316603

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

प्रारूप 26

(नियम 4क देखिए)

60 कालाढूंगी निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

उत्तराखण्ड विधान सभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ पत्र

मैं, नारायण सिंह जन्तवाल पुत्र / ~~पुत्री / पत्नी~~ श्री रूपा सिंह आयु 51 वर्ष, जो ग्राम जन्तवालगाँव, व. जिला नैनीताल की / की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ / करती हूँ / शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ / करती हूँ :-

1- मैं, ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किए गए हैं। यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा / करेगी :

(i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएं X लागू नहीं

(ii) पुलिस थाना (थाने) लागू नहीं X जिला (जिले) X लागू नहीं राज्य X लागू नहीं

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है X लागू नहीं

(iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई X लागू नहीं

(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था / थे X लागू नहीं

(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है / X लागू नहीं

NOTARY GOVT. OF UTTARANCHAL
Jyoti Prakash
Advocate
H. Q. NAINITAL
R. No 21 (10)/2005

JYOTI PRAKASH
Advocate
Notary H.Q. Nainital
21(10)/2005

2- मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है / नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिये कारावास से दंडादिष्ट किया गया है / नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएं.......X लागू नहीं.......

(ii) न्यायालय, जिसने दंडित किया है.......X.......लागू नहीं.......

(iii) पुलिस थाना (थाने).लागू नहीं....X......जिला (जिले).लागू नहीं X.........राज्य.......X...लागू नहीं

(iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है.......X....लागू नहीं

(v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था / सुनाए गए थे.......X.........लागू नहीं

(vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है / रोके गए हैं.............
....X..........लागू नहीं

स्थान : नैनीताल

तारीख : 10.01.2012

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

NOTARY
Jyoti Prakash
Advocate
H. Q. NAINITAL
R.No 21 (10)/2005
GOVT. OF UTTARANCHAL

10.1.2012
JYOTI PRAKASH
Advocate
Notary H.Q. Nainital
Reg. No. 21(10)/2005

सत्यापन

मैं. ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता / करती हूँ कि इस शपथपत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्विक बात छिपायी नहीं गई है।

..........नैनीताल.......... स्थान पर आज तारीख..........10.01.2012..........को

सत्यापित किया।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणी :- इस प्ररूप के वे स्तंम्भ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं हैं, काट दिए जाएं।

NOTARY
Jyoti Prakash
Advocate
H. Q. NAINITAL.
R. No 21 (10)/2005
GOVT. OF UTTARANCHAL

Certified that Sri/Smt......नारायण सिंह जन्तवाल......
the Deponent Identified by...Self...
Sworned & Verified the Contents of
this Affidavit at...नैनीताल...on...10.1.2012
10.1.2012
JYOTI PRAKASH Advocate
Notary H Q. NAINITAL.
Reg. No. 21 (10)/2005

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

संख्याः 3/ई0आर0/2011/एस.डी.आर दिनांक : 25 फरवरी, 2011

सेवा में,

सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ।

विषयः– आपराधिक पृष्ठभूमि, परिसंपत्ति, देयता तथा शैक्षिक अर्हता के संबंध में शपथपत्र दाखिल करने के लिए परिशोधित फार्मेट – अभ्यर्थियों द्वारा उनके नामनिर्देशन पत्र सहित दाखिल किए गए शपथपत्र ।

महोदय/महोदया,

सिविल अपील संख्या 2002 की 490 में दिनांक 13 मार्च, 2003 के निर्णय तथा आदेश के अनुसरण में आयोग ने दिनांक 27 मार्च, 2003 के आदेश सं0 3/ई.आर/2003/जे.एस–II के द्वारा एक फार्मेट निर्धारित किया है जिसमे संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधान मंडलों के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि, परिसम्पत्ति, देयता तथा शैक्षिक अर्हता के संबंध में सूचना देते हुए शपथपत्र दाखिल करना होता है ।

2. तब से अनुभव के आधार पर, आयोग ने अभ्यर्थियों की पृष्ठभूमि के बारे में निर्वाचकों को और बेहतर तथा प्रभावी सूचना देने के लिए फार्मेट में कुछ संशोधन किए है । शपथपत्र का नया फार्मेट इसके साथ संलग्न है । यह फार्मेट अब से सभी निर्वाचनों के लिए प्रयोग किया जाएगा ।

3. नया फार्मेट राज्य में सभी निर्वाचन अधिकारियों में परिचालित किया जाए तथा आपके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में, सभी राजनीतिक पार्टियों (मान्यता प्राप्त पार्टियों की राज्य ईकाईयों सहित) के संज्ञान में लाया जाए ।

भवदीय,

ह/0

(के0एफ0विलफ्रेड)

प्रमुख सचिव